[लोक सभा द्वारा 27 दिसम्बर, 2017 को पारित रूप में]

2017 का विधेयक संख्यांक 268-सी

[दि नेशनल कैपिटल टैरीटरी आफ दिल्ली लॉज (स्पेशल प्रोविजन्स) सेकेंड (अमेंडमेंट बिल, 2017 का हिंदी अनुवाद]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

वृहत् शीर्ष का संशोधन ।

2011 का 20

2. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् शीर्ष में, "31 दिसंबर, 2017 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2020 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

प्रस्तावना का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की प्रस्तावना में,--

(क) चौथे पैरा का लोप किया जाएगा ;

(ख) नौवें पैरा और दसवें पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"और अप्राधिकृत कॉलोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्रों और उनके विस्तारण तथा विशेष क्षेत्रों के नियमितीकरण के लिए और अधिक समय अपेक्षित है ;";

(ग) अंतिम पैरा में, "31 दिसंबर, 2017 तक की अवधि के लिए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 1 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के आरंभिक भाग में, "अधिनियम 31 दिसंबर, 2017 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अधिनियम 31 दिसंबर, 2020 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) "फेरी वालों और शहरी पथ विक्रेताओं" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (3) में, "31 दिसंबर, 2017 तक" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2020 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में, "31 दिसंबर, 2017 के पूर्व किसी भी समय" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2020 के पूर्व किसी भी समय" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 4 में,--

(क) खंड (क) में "खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग)", कोष्ठकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (क) और खंड (ग)" कोष्ठक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में "फेरी वालों और शहरी पथ विक्रेताओं" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

GMGIPMRND—3216LS(CRC)—27-12-2017.